...लय : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़, जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री राम लाल मीना (RAS)

राजस्व वाद संख्या :– 90/2020

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
चनेसर पुत्र बच्चु जाति मुसलमान निवासी–धामडली, तहसील गडरारोड़ जिला–बाड़मेर		1. नसीर पुत्र चंगाला 2. इसमाईल पुत्र चंगाला 3. हाजी पुत्र चंगाला 4. गाजी पुत्र चंगाला 5. श्रीमती सरीफा पत्नी गाजी 6. हासम पुत्र अली 7. श्रीमती अमरा पत्नी अली 8. सुराब पुत्र आरब 9. हैयात पुत्र आरब 10. आबास पुत्र जुसब 11. हमजा पुत्र जुसब 12. मीरा पुत्र करीम 13. मोहम्मद पुत्र मियाजल 14. अली खां पुत्र पन्ना खां 15. खमीषा खां पुत्र पन्ना खां 16. अरबाब पुत्र पन्ना खां 17. अयुब पुत्र सुजा उर्फ सोना 18. इब्राहीम पुत्र याकुब 19. अकबर पुत्र सालख 20. सादी पुत्र सालख 21. सखी पुत्र सालख 22. हनीफ पुत्र सालख 23. कासम पुत्र सालख 24. श्रीमती जीनत पत्नी सालख 25. हसन पुत्र मजीद के कायम मुकाम 25.1 श्रीमती रहमत पत्नी हसन 25.2 मिश्री पुत्र हसन 25.3 अजीज पुत्र हसन 25.4 [illegible] 26. ह[illegible] पुत्र [illegible]ाबक्स जाति [illegible] निवासी–धामड़ली तहसील [illegible]रोड़, जिला–बाड़मेर 27. प्रबन्धक [illegible]ाड़मेर सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक गडरारोड़ 28. प्रबन्धक राज. मरूधरा ग्रामीण बैंक गडरारोड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 16:32:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :– मदनसिंह भाटी वकील वादी

शाकर खान समेजा वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 9

रविन्द्र कुमार वकील प्रतिवादी संख्या 18 से 25

दिनांक :– 15.9.2025

निर्णय

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1546 रकबा 29 बीगा, खसरा नम्बर 1853 रकबा 102 बीगा 02 बिस्वा व खसरा नम्बर 2012 रकबा 183 बीगा 14 बिस्वा कुल रकबा 314 बीगा 16 बिस्वा के मौजा मैदुसर, तहसील शिव, जिला बाड़मेर में आये हुए थे उक्त खेतों में वादी के पूर्वज बच्चु पुत्र जानु का 1/6 हिस्सा खातेदारी का था तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के पूर्वजों का था। उपरोक्त खेत पूर्व में ग्राम मैदुसर में स्थित थे तथा मैदुसर के नये राजस्व गांव बन जाने से वर्तमान में खसरा नम्बर 1853 रकबा 68 बीगा 02 बिस्वा ग्राम मेहराणियों की बस्ती, तहसील गडरारोड़ में, खसरा नम्बर 2106/2012 रकबा 122 बीगा 12 बिस्वा ग्राम करीम का पार तहसील गडरारोड़ में व खसरा नम्बर 1546 रकबा 19 बीगा 07 बिस्वा ग्राम हीरपुरा तहसील गडरारोड़ में स्थित हैं। उक्त खेतों के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के परिवार के सदस्य ठारा पुत्र निहाल व प्रतिवादी संख्या 10 से 17 के परिवार के सदस्य मेवाल पुत्र मांगीणा व प्रतिवादी संख्या 18 से 25 परिवार का सदस्य कायम, सखी पिसरान मका के पाक जाने के कारण उनका हिस्सा खालसा कर राज्य सरकार के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया व शेष बची भूमि खातेदारों के नाम पुनः दर्ज कर हिस्से वही रखे गये। वादी के पिता के नाम वक्त सेटलमेंट में उपरोक्त खसरों में कुल रकबा 314 बीगा 16 बिस्वा में 1/6 हिस्सा करीबन 53 बीगा भूमि आती थी जबकि वर्तमान में उक्त तीनों खसरा नम्बर का कुल रकबा 209 बीगा 19 बिस्वा रहता हैं उसमें वादी का 1/6 हिस्सा बताया उस अनुसार वादी के हिस्से में कुल रकबा 35 बीगा भूमि आती हैं इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों द्वारा खातेदारों के पाक जाने के पश्चात भरे गये म्युटेशन में गलत रूप से हिस्से दर्ज किये गये इस प्रकार उन्हे पुनः सही दर्ज कराने व वादी वर्तमान जमीन खसरा नम्बर 1853 रकबा 68 बीगा 02 बिस्वा ग्राम मेहराणियों की बस्ती, तहसील गडरारोड़, जिल बाड़मेर खसरा नम्बर 2106/2012 रकबा 122 बीगा 12 बिस्वा ग्राम करीम का पार तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर, खसरा नम्बर 1546 रकबा 19 बीगा 07 बिस्वा ग्राम हीरपुरा तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर को मुताबिक उक्त खसरा नम्बर 1546 रकबा 29 बीगा, खसरा नम्बर 1853 रकबा 102 बीगा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 2012 रकबा 183 बीगा 14 बिस्वा कुल रकबा 314 बीगा 16 बिस्वा के मौजा मैदुसर तहसील षिव जिला बाड़मेर अनुसार करते हुए उसमें वादी का 1/6 हिस्सा अर्थात् 53 बीगा भूमि घोषित की जावें जिस हेतु यह वाद घोषणा का प्रस्तुत हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 16:32:56 IST
Reason: SelfAttested

वाद पंजीयन कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। बाद तामिली वादी संख्या 1 से 9 की ओर से अधिवक्ता शाकर खान समेजा व प्रतिवादी सख्या 18 से 25 की ओर से अधिवक्ता रविन्द्र कुमार उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 से 9 की ओर से अधिवक्ता शाकर खान समेजा ने जवाब प्रस्तुत किया व प्रतिवादी संख्या 5 व 8 की और से इकबाली जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया, तत्पश्चात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3, प्रतिवादी संख्या 5, प्रतिवादी संख्या 8 व प्रतिवादी संख्या 9 के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर वादग्रस्त आराजी के संबंध में हुए राजीनामों को वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कर राजीनामें में वर्णित तथ्यों के आधार पर वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील वादी ने राजीनामें में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बहस में निवेदन किया कि वादी चनेसर द्वारा मौजा हीरपुरा, धामड़ली, करीम का पार व मौजा मेहराणियों की बस्ती के खसरों के दावे पेश किये गये थे जिसमें मौजा मेहराणियों की बस्ती के खसरा नम्बर 1820, 1956/1820 व धामड़ली के खसरा नम्बर 1855 में वादी ने अपना हक हिस्सा छोड़ दिया हैं व उसका अन्य वाद संख्या 89/2020 अनवान चनेसर बनाम जाका वगैरा को जरिये राजीनामा विड्रो कर दिया हैं व इस वाद के मौजा मेहराणियों की बस्ती के खसरा संख्या 1853, मौजा हीरपुरा के खसरा संख्या 1546 में वादी व प्रतिवादीगण के हिस्सों को यथावत् रखा जाय, जो वर्तमान जमाबंदी अनुसार यथावत् रहेगा जिसमें पक्षकारानों का कोई हिस्सा बदला नहीं जावें। मौजा करीम का पार पटवार हल्का खानियानी तहसील गडरारोड़ में खसरा नम्बर 2106/2012 रकबा 19.8458 हैक्टेयर (122 बीगा 12 बिस्वा) भूमि में वादी चनेसर का वर्तमान हिस्सा 1/6 यथावत् रखते हुए अतिरिक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 नसीर अपना संपूर्ण 1/30 हिस्सा 04.01 बीगा, प्रतिवादी संख्या 2 ईस्माईल अपना संपूर्ण हिस्सा 04.01 बीगा, प्रतिवादी संख्या 3 हाजी अपना संपूर्ण हिस्सा 1/30 हिस्सा 04.01 बीगा, प्रतिवादी संख्या 5 सरीफा अपने 1/30 हिस्सा में से 02 बीगा, प्रतिवादी संख्या 8 सुराब अपना हिस्सा 1/12 वां में से 08 बीगा, प्रतिवादी संख्या 9 हैयात अपना हिस्सा 1/12 वां में से 07 बीगा भूमि वादी चनेसर को अपने हिस्सों में से दे रहे हैं। इस प्रकार वादी चनेसर को कुल मिलाकर 29.05 बीगा की खातेदारी में हिस्सा दर्ज किया जावें व शेष खाता यथावत् रहेगा। उपरोक्त राजीनामा अनुसार उक्त खसरा नम्बर 2106/2012 में प्रतिवादीगण का हिस्सा में से वादी चनेसर के खातेदारी में दर्ज की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 16:32:56 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3, प्रतिवादी संख्या 5, प्रतिवादी संख्या 8 से 9 द्वारा प्रस्तुत राजीनामें में अंकित तथ्यों का अवलोकन एवं वादी वकील की बहस पर मनन किया। जिससे वादी द्वारा अन्य राजस्व ग्रामों में अवस्थित वादग्रस्त भूमि में खातेदारी हिस्से की घोषणा पाने की इस्तदुआ को विड्रो करते हुए केवल मौजा करीम का पार पटवार हल्का खानियानी तहसील गडरारोड़ में अवस्थित खसरा नम्बर 2106/2012 रकबा 19.8458 हैक्टेयर (122 बीगा 12 बिस्वा) भूमि में उभयपक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से

...कर हुए राजीनामें के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3, प्रतिवादी संख्या 5, ...वादी संख्या 8 से 9 के खातेदारी हिस्सों की घोषणा करने की इस्तदुआ चाही हैं जिन्हे ...राजीनामें के आधार पर घोषित करने में कोई आपति प्रतीत नहीं होती हैं।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा करीम का पार, पटवार हल्का खानियानी, तहसील गडरारोड़, जिला बाड़मेर में अवस्थित खसरा नम्बर 2106/2012 रकबा 19.8458 हैक्टेयर (122 बीगा 12 विस्वा) भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 नसीर का संपूर्ण 1/30 खातेदारी हिस्सा यानि 0.6615 हैक्टेयर (04.01 बीगा), प्रतिवादी संख्या 2 ईस्माईल का संपूर्ण 1/30 खातेदारी हिस्सा यानि 0.6615 हैक्टेयर (04.01 बीगा), प्रतिवादी संख्या 3 हाजी का संपूर्ण 1/30 खातेदारी हिस्सा यानि 0.6615 हैक्टेयर (04.01 बीगा), प्रतिवादी संख्या 5 सरीफा के 1/30 खातेदारी हिस्से 0.6615 हैक्टेयर (04.01 बीगा) में से 0.3237 हैक्टेयर (02 बीगा), प्रतिवादी संख्या 8 सुराब के 1/12 खातेदारी हिस्से 1.6538 हैक्टेयर में से 1.2949 हैक्टेयर (08 बीगा), प्रतिवादी संख्या 9 हैयात के 1/12 खातेदारी हिस्से 1.6538 हैक्टेयर में से 1.1331 हैक्टेयर (07 बीगा) कुल रकबा 4.7362 हैक्टेयर (29.05 बीगा) भूमि वादी चनेसर की खातेदारी में घोषित की जाती है, शेष प्रतिवादीगण का खातेदारी हिस्सा यथावत् रखते हुए तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
गडरारोड़, जिला बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 15.9.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
गडरारोड़, जिला बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 16:32:56 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)
(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)
न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़, जिला–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी राम लाल मीना)

राजस्व वाद संख्या :– 90 / 2020

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. चनेसर पुत्र बच्चु जाति मुसलमान निवासी–धामडली, तहसील गडरारोड, जिला–बाड़मेर		1. नसीर पुत्र चंगाला 2. इसमाईल पुत्र चंगाला 3. हाजी पुत्र चंगाला 4. गाजी पुत्र चंगाला 5. श्रीमती सरीफा पत्नी गाजी 6. हासम पुत्र अली 7. श्रीमती अमरा पत्नी अली 8. सुराब पुत्र आरब 9. हैयात पुत्र आरब 10. आबास पुत्र जुसब 11. हमजा पुत्र जुसब 12. मीरा पुत्र करीम 13. मोहम्मद पुत्र मियाजल 14. अली खां पुत्र पन्ना खां 15. खमीशा खां पुत्र पन्ना खां 16. अरबाब पुत्र पन्ना ख़ां 17. अयुब पुत्र सुजा उर्फ सोना 18. इब्राहीम पुत्र याकुब 19. अकबर पुत्र सालख 20. सादी पुत्र सालख 21. सखी पुत्र सालख 22. हनीफ पुत्र सालख 23. कासम पुत्र सालख 24. श्रीमती जीनत पत्नी सालख 25. हसन पुत्र मजीद के कायम मुकाम– 25.1 श्रीमती रहमत पत्नी हसन 25.2 मिश्री पुत्र हसन 25.3 अजीज पुत्र हसन 25.4 हैदर पुत्र हसन 26. हमीर पुत्र अलाबक्स जाति–मुसलमान,निवासी–धामड़ली तह0 गडरारोड़, जिला–बाड़मेर 27. प्रबन्धक बाड़मेर सैन्ट्रलकॉपरेटिव बैंक गडरारोड़ 28. प्रबन्धक राज. मरूधरा ग्रामीण बैंक गडरारोड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 16:32:56 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :– 1. मदनसिंह भाटी वकील वादी
2. शाकर खान समेजा वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 9
3. रविन्द्र कुमार वकील प्रतिवादी संख्या 18 से 25

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

<u>अन्तिम डिक्री</u>

वादी को आज दिनांक 15.9.2025 को सहायक कलक्टर गडरारोड़ के समक्ष …तम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है …कि:–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा करीम का पार, पटवार हल्का खानियानी, तहसील गडरारोड़, जिला बाड़मेर में अवस्थित खसरा नम्बर 2106/2012 रकबा 19.8458 हैक्टेयर (122 बीगा 12 बिस्वा) भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 नसीर का संपूर्ण 1/30 खातेदारी हिस्सा यानि 0.6615 हैक्टेयर (04.01 बीगा), प्रतिवादी संख्या 2 ईस्माईल का संपूर्ण 1/30 खातेदारी हिस्सा यानि 0.6615 हैक्टेयर (04.01 बीगा), प्रतिवादी संख्या 3 हाजी का संपूर्ण 1/30 खातेदारी हिस्सा यानि 0.6615 हैक्टेयर (04.01 बीगा), प्रतिवादी संख्या 5 सरीफा के 1/30 खातेदारी हिस्से 0.6615 हैक्टेयर (04.01 बीगा) में से 0.3237 हैक्टेयर (02 बीगा), प्रतिवादी संख्या 8 सुराब के 1/12 खातेदारी हिस्से 1.6538 हैक्टेयर में से 1.2949 हैक्टेयर (08 बीगा), प्रतिवादी संख्या 9 हैयात के 1/12 खातेदारी हिस्से 1.6538 हैक्टेयर में से 1.1331 हैक्टेयर (07 बीगा) कुल रकबा 4.7362 हैक्टेयर (29.05 बीगा) भूमि वादी चनेसर की खातेदारी में घोषित की जाती हैं, शेष प्रतिवादीगण का खातेदारी हिस्सा यथावत् रखते हुए तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते हैं।

यह डिक्री आज तारीख 15.9.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(राम लाल मीना)
सहायक कलक्टर
(SDO) गडरारोड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 16:32:56 IST
Reason: SelfAttested